ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2014 से 03/2017

भाग–एक

1 **प्रस्तावना (क):–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

प्रधानः–

क्र0	नाम	अवधि
1	श्री रन्जीत सिंह	01.04.2013 से 22.01.2016
2	श्रीमति प्रतिमा शर्मा	23.01.2016 से 31.03.2016

सचिवः–

क्र0	नाम	अवधि
1	श्री विनोद कुमार	01.04.2016 से 09.05.2016
2	श्री सुदेश कुमार	10.05.2016 से 31.01.2017
3	श्री संजीव कुमार	01.02.2017 से 31.03.2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड घुमारवीं जिला बिलासपुर के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्त शेष में अन्तर	0.46
2	7	रोकड़ बही से सीमेन्ट जारी करना	––

3	8	नियम विरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारे	––
4	9	नियमों के विरूद्ध ग्यारह बैंक बचत खातों का खोला जाना	––
5	11	खाता 'ख' के ब्याज को खाता 'क' में अन्तरित न किया जाना	1.36
6	13	वर्ष 2016–17 में मनरेगा से किए गए व्यय को रोकड़ बही में लेखांकन न करना	17.70
7	16	निर्धारित सीमा से अधिक नकद हस्तगत राशि का रखना	––
8	18	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.30
9	19	अनुदान राशि का अवरोधन	21.79
10	20	बैंक खातों से संदिग्ध आहरण	0.36
11	22	खाता 'ख' की रोकड़ बही में संदिग्ध व्यय दर्ज करना	0.02
12	23	विधायक क्षेत्र विकास निधि से संदिग्ध व्यय	0.03
13	24	बिना उचित बिलों के किया गया संदिग्ध व्यय	2.08
14	26	निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टाक स्टोर का क्रय करना	2.71

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 05/04/2017 से 19/04/2017 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 11/2014, 02/2016, 01/2017 व 07/2014, 12/2015, 03/2017 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविश्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0 अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/—59 दिनांक 19/04/2017 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण के दौरान ही अंकेक्षण शुल्क की राशी हि. प्र. रा. स. बैंक हटवाड़ के चैक संख्या 717851 दिनांक 19—04—2017 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4 वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः—

4.1 **स्व स्त्रोत :—** ग्राम पंचायत के अवधि 04/2014 से 03/2017 तक स्व स्त्रोतों (खाता 'क') की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया है :—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014—15	73103	0	73103	18840	54263
2015—16	54263	1377	55640	3400	52240
2016—17	52240	1222	53462	0	53462

4.2 **अनुदानः—** ग्राम पंचायत के अवधि 04/2014 से 03/2017 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति (खाता 'ख') का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया हैः—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014—15	208002	1836086	2044088	1258187	785901
2015—16	785901	1716091	2501992	1123413	1378579
2016—17	1378579	2872155	4250734	2072012	2178722

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न किए जाने के कारण रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्त शेष में ₹0.46 लाख का अन्तरः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई है। जिस कारण से वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31–03–2017 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹45,979 का अन्तर बैंक खातों में कम शेष के रूप में दर्ज किया गया है।

क्र0सं0	खाता			अन्त शेष (₹)
	रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थितिः–			
1	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'क' – पैरा 4(1)			53462
2	रोकड़ बही के अनुसार खाता 'ख' – पैरा 4(2)			2178722
रोकड़ बहियों अनुसार अन्तशेष का कुल योगः				**2232184**
बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः–				
	विवरण	**बैंक**	**खाता**	
1	खाता 'क'	हि0प्र0रा0स0 बैंक हटवाड़	0233	21162
2	पंचायत निधि–खाता 'ख'	हि0प्र0रा0स0बैंक हटवाड़	0232	1715206
3	मनरेगा	हि0प्र0रा0स0 बैंक हटवाड़	0242	0
4	इन्दिरा आवास योजना	हि0प्र0रा0स0बैंक हटवाड़	0236	0
5	राजीव/अटल आवास योजना	हि0प्र0रा0स0 बैंक हटवाड़	0237	43812
6	13वां वित्तायोग	हि0प्र0रा0स0 बैंक हटवाड़	0240	254679
7	विधायक क्षेत्र विकास निधि	हि0प्र0रा0स0 बैंक हटवाड़	0238	2426
8	सांसद क्षेत्र विकास निधि	हि0प्र0रा0स0 बैंक हटवाड़	0239	9287
9	हरियाली	हि0प्र0रा0स0 बैंक हटवाड़	0235	0
10	हरियाली– लाभार्थी अंशदान	हि0प्र0रा0स0 बैंक हटवाड़	0234	26782
11	निर्मल भारत अभियान	हि0प्र0रा0स0 बैंक हटवाड़	1265	112484
13	खाता 'क' की रोकड़ बही में दर्शाया गया हस्तगत शेषः			367
बैंक खातों में जमा राशि का कुल योग (हस्तगत राशि सहित):				2186205
अन्तरः				45979

यह अन्तर परिलक्षित करता है कि रोकड़ बहियों के रखरखाव में कितनी लापरवाही बरती गई है। हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्व होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण के साथ पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6 रोकड़ बही में वास्तविक व सम्पूर्ण व्यय का दर्ज़ न करनाः—

गत पैरा 5 में जो अन्तर है वह यह भी परिलक्षित करता है कि पंचायत के व्यय हेतु बैंक खातों से आहरित राशियों सही तरीके से रोकड़ बहियों में दर्ज नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों हेतु प्रयुक्त सीमेंट को भी रोकड़ बही व्यय में खरीदते समय तथा स्टॉक से जारी करते समय दो बार दर्ज किया गया है जिसके कुछ प्रकरण आगामी पैरा 7 में उद्धृत किए गए हैं। अतः दिनांक 31—03—2017 को बैंक खातों का रोकड़ बहियों से ₹45,979 कम पाये गये शेष के कारणों की विभाग द्वारा अपने स्तर पर विस्तृत जांच करके रोकड़ बहियों का सम्पूर्ण अद्यतन (Updation) सुनिश्चित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 रोकड़ बही से सीमेन्ट जारी करनाः—

पंचायत के लेखाओं की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए खरीदे गए सीमेन्ट को एम0 ए0 एस0 (मैटीरियल ऐट साइट) रजिस्टर/सीमेंट स्टॉक रजिस्टर से सम्बन्धित कार्य को जारी करने के स्थान पर इसे पुनः रोकड़ बही की आय में लेखांकित करते हुए व्यय की तरफ से जारी करने की प्रविष्टियां की गई हैं। रोकड़ बहियों की चयनित माह हेतु नमूना जांच में पाए गए कुछ प्रकरण नीचे दी गई तालिका में उद्धृत किए गए हैं। सीमेन्ट के लेखांकन का यह तरीका किन लेखांकन नियमों अथवा किसके तथा किन आदेशों से अपनाया गया है, इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0	रो.ब.पृ.	दिनांक	बोरियां	प्रति बोरी मूल्य	कुल लागत
			13वां वित्तायोग रोकड़ बही		
1	32	15.11.16	25	238.44	5961.00
2	32	15.11.16	35	238.44	8346.00

3	32	16.11.16	35	238.44	8346.00
			पंचायत निधि खाता 'ख'		
4	27	18.5.16	20	238.44	4769.00
				कुल योग	**27422.00**

8 नियमविरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्तमान में ग्यारह अलग–अलग रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर अनुरक्षित इन ग्यारह रोकड़ बहियों बारे उचित स्पष्टीकरण सहित भविष्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

9 नियमों के विरूद्ध ग्यारह बैंक बचत खातों का खोला जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत कोट में दो के स्थान गत पैरा 5 में वर्णित ग्यारह बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन नौ अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

10 नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। परन्तु पंचायत के लेखाओं की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

11 **खाता ’ख’ के ₹1.36 लाख के ब्याज को खाता ’क’ में अन्तरित न किया जानाः—**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता ’ख’ में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयँ संसाधनों के खाता ’क’ में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत कोट के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹1,36,279/— खाता ’ख’ से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता ’क’ में अन्तरित किया जाना था परन्तु नहीं किया गया है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता ’ख’ के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता ’क’ में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता			**माह/वर्ष**				**कुल ब्याज**
संख्या	**9/2013**	**3/2014**	**9/2014**	**3/2015**	**9/2015**	**3/2016**	
0232	1643	5151	6010	10955	28754	37641	90154
0242	300	312	3	0	0	0	615
0236	298	635	253	323	661	154	2324
0237	24	45	74	64	332	706	1245
0240	417	2203	4978	5362	5021	4584	22565
0238	650	491	47	101	47	47	1383
0239	510	302	377	802	699	525	3215
0235	17	18	18	18	19	1	91
0234	477	484	496	506	516	524	3003
0265	0	290	3160	2184	3885	2165	11684
कुल योग	**4336**	**9931**	**15416**	**20315**	**39934**	**46347**	**136279**

12 **पंचायत निधि के खाता ’क’ का संचालन न करनाः—**

ग्राम पंचायत के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में हि0प्र0रा0स0बैं0 की हटवाड़ शाखा में खाता संख्या 12910100233 पंचायत निधि के लिए खाता ’क’ खोल तो लिया गया है परन्तु इसमें वर्ष 2014—15 में सितम्बर 2014 में

₹1600/– के व्यय की प्रविष्टि उपरान्त किसी भी प्रकार का लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है। यह स्थिति **परिशिष्ट '1'** में दी गई पंचायत के स्वयं संसाधनों की वित्तीय स्थिति के अवलोकन पर स्वयं स्पष्ट हो जाती है। पंचायत द्वारा इस खाते का संचालन करने के स्थान पर स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय को पंचायत निधि के खाता 'ख' है में जमा करवाया जाता है। यह नियम विरूद्ध कार्यविधि क्यों तथा किसके निर्देशों से अपनाई गई है के बारे में अंकेक्षण को कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 वर्ष 2016–17 में मनरेगा से किए गए ₹17.70 लाख के व्यय को रोकड़ बही में लेखांकन न करनाः–

ग्राम पंचायत कोट द्वारा मनरेगा के सन्दर्भ में उपलब्ध ऑनलाइन जानकारी के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार वर्श 2016–17 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत मजदूरी पर ₹12.23 लाख व निर्माण सामग्री पर ₹5.47 लाख कुल ₹17.70 लाख खर्च किए गए हैं। परन्तु आश्चर्यजनक रूप से इस व्यय/आय के लिए मनरेगा रोकड़ बही में कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई है और न ही इस बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। इस कारण से इस अवधि के लिए योजना की नमूना अंकेक्षण जांच सम्भव नहीं हो पाई है। अतः इस गम्भीर अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस ऐबस्ट्रैक्ट को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय/व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

15 नियमानुसार निवेश न करनाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप—1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

16 निर्धारित सीमा से अधिक नकद हस्तगत राशि का रखनाः—

पंचायत की रोकड बहियों की चयनित माह हेतु नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित ₹1000 की अधिकतम सीमा से अधिक रखा गया था, जो कि हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। निम्न तालिका में अंकेक्षणावधि के दौरान मासान्त में निर्धारित सीमा से अधिक नकद हस्तगत शेष के कुछ प्रकरण उद्धृत किए गए हैं। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र	दिनांक	सीमा से अधिक रखी गई राशि
	खाता 'ख' रोकड़ बही	
1	31.1.15	1048.00
2	28.2.15	1048.00
3	30.6.15	1143.00
4	31.7.15	1153.00
5	31.8.15	1203.00
6	30.9.15	1313.00
7	31.10.15	1363.00
8	30.11.15	1363.00
9	31.12.15	1513.00
10	31.1.16	1523.00
11	28.2.16	28207.00
12	31.3.16	28207.00
13	30.4.16	7433.00
14	30.5.16	3513.00

17 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

18 पंचायत राजस्व ₹29,520/– का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत सचिव ग्राम पंचायत कोट द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹29,520/– की वसूली शेष थी।

गृहकरः पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2014–15 में 937, 2015–16 में 937 तथा 2016–17 में 950 परिवारों के लिए ₹20 प्रति परिवार की दर से

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014–15	0.00	18740.00	18740.00	0.00	18740.00
2015–16	18740.00	18740.00	37480.00	26960.00	10520.00
2016–17	10520.00	19000.00	29520.00	0.00	29520.00

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

19 अनुदान की राशि ₹21.79 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–1** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2017 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹21,78,722 की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

20 बैंक खातों से ₹35,520 का संदिग्ध आहरणः–

ग्राम पंचायत कोट की रोकड़ बहियों की चयनित माह हेतु नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि निम्न तालिका में दिए विवरणानुसार हि0प्र0रा0सह0 बैंक हटवाड़ में अलग

–अलग निधियों के बचत बैंक खातों से ₹35,520 का आहरण किया है। परन्तु इस राशि को न तो सम्बन्धित निधि की रोकड़ बही के व्यय में दर्ज किया गया है और न ही इससे सम्बन्धित कोई व्यय वाउचर उपलब्ध है। इन कारणों से यह आहरण/व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः इस प्रकरण की जांच उपरान्त उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए अथवा इस राशि की प्रतिपूर्ती सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र	निधि	बैंक खाता	चैक	दिनांक	आहरणकर्ता	राशि
1	13वां वित्तायोग	12910100240	812416	25.05.15	प्रवीण कुमार	1091.00
2	निधि खाता 'ख'	12910100232	715046	28.04.16	ऊशा देवी	5400.00
3	निधि खाता 'ख'	12910100232	715047	29.04.16	बलवंत सिंह	5400.00
4	निधि खाता 'ख'	12910100232	715049	13.05.16	एच.पी.एस.सी.सी.	4769.00
5	निधि खाता 'ख'	12910100232	706128	12.10.16	नमन एण्ट्रप्राइज़ज	18860.00
						35520.00

21 **रद्द चैक का आय में पुर्नलेखांकन न करनाः–**

13वें वित्तायोग की रोकड़ बही के पृष्ठ 28 पर दिनांक 27.07.2016 को जय कुमार को पानी के टैंकर की लागत का चैक संख्या 706013 द्वारा ₹1000का भुगतान/व्यय दर्ज किया गया है। परन्तु इस चैक को कभी भी बैंक से आहरित नहीं किया गया है। नियमानुसार चैक की वैधता अवधि 90 दिन के पश्चात इसे रद्द करते हुए आय में पुर्नलेखांकन किया जाना अपेक्षित था परन्तु नहीं किया गया है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अब अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 **खाता 'ख' की रोकड़ बही में ₹2447 का संदिग्ध व्यय दर्ज करनाः–**

पंचायत निधि के खाता 'ख' की रोकड़ बही की चयनित माह हेतु नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि इसमें पृष्ठ 21 पर दिनांक 20.01.2016 को निम्न तालिका में दिए विवरणानुसार ₹2447 का ऐसा व्यय दर्ज किया गया है जिसके भुगतान का न तो कोई बैंक विवरण उपलब्ध है और न ही इसका भुगतान नकद हस्तगत शेष से किए जाने का सन्दर्भ रोकड़ बही में उपलब्ध है। भुगतान के विवरण की अनुपलब्धता इन प्रविष्टियों का संदिग्ध बनाती है अतः इस व्यय के भुगतान से सम्बन्धित समस्त अभिलेख सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए लेखाओं में आवश्यक सुधारात्मक प्रविष्टियां करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रमांक	भुगतान की मद	राशि
1	बिजली बिल का भुगतान	1100.00
2	टेलीफोन बिल का भुगतान	1347.00
	कुल योग	**2447.00**

23 विधायक क्षेत्र विकास निधि से ₹3663 का संदिग्ध व्ययः—

विधायक क्षेत्र विकास निधि की रोकड़ बही व व्यय वाचरों की अंकेक्षणावधि मे चयनित माह हेतु नमूना अंकेक्षण जांच के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही पृष्ठ 7 पर दिनांक 9.12.2015 को चैक संख्या 030896 से ₹3663 का भुगतान श्रीमति हेमा देवी के पक्ष में दर्ज किया गया है। परन्तु इस राशि के भुगतान के सत्यापन/जांच के सन्दर्भ में किसी प्रकार के वाउचर अभिलेख में उपलब्ध नहीं हैं जिस कारण से यह व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः इस प्रकरण की सम्पूर्ण जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त इसकी प्रतिपूर्ति/वसूली उचित स्त्रोत से करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 बिना उचित बिलों के किया गया ₹2.08 लाख का संदिग्ध व्ययः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब—वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। ग्राम पंचायत कोट के अंकेक्षणावधि के चयनित माह के वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि रोकड़ बहियों में दर्ज ₹2,08,070 के व्यय के विरूद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तीकर्ता के उचित आपूर्ती बिल उपलब्ध नहीं थे जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

क्र0	दिनांक	रो.ब.पृष्ठ	विवरण	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता 'ख'			
1	1.3.17	51	रेत, बजरी व पत्थर	27990
2	1.3.17	51	शटरिंग	4060
3	16.3.17	53	रेत, बजरी व पत्थर	32150
4	16.3.17	53	ट्रैक्टर से निर्माण सामग्री की ढुलाई	7200

5	16.3.17	53	रेत, बजरी व पत्थर	15040
6	16.3.17	53	बजरी	3800
7	23.3.17	56	ईंटें	14480
8	23.3.17	56	ईंटें	28980
9	23.3.17	57	रेत व बजरी	22230
	विधायक क्षेत्र विकास निधि			
10	9.12.15	7	पत्थर, रेत व बजरी	18240
	सांसद क्षेत्र विकास निधि			
11	23.2.16	13	पत्थर, रेत व बजरी	15120
12	23.2.16	13	पत्थर, रेत व बजरी	18780
			कुल योग	**208070**

इन प्रकरणों में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तीकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, अथवा कम्पयूटर पर टाइप किए अथवा हस्तलिखित बिल/प्रार्थना पत्र पर ही बड़ी बड़ी राशियों का भुगतान करते हुए आपूर्तीकर्ता की रसीद दर्शाई गई है और पंचायत सचिव, पंचायत प्रधान तथा पंचायत सदस्यों द्वारा सत्यापित किया गया है। आपूर्तीकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के अभाव में यह व्यय उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों तथा इनके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्चाधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

25 निर्माण सामग्री की खरीद उचित बिलों के बिना करनाः–

गत पैरा 24 में दिया गया विवरण मात्र अंकेक्षणावधि के लेखाओं की नमूना जांच से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी देखने में आया था कि पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों विशेषतः मनरेगा कार्यो के लिए सीमेंट तथा सरिया के अतिरिक्त खरीदी जाने वाली समस्त निर्माण सामग्री की खरीद भी इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत बिना उचित बिलों के की गई है। आपूर्तीकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के अभाव में यह व्यय भी उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों की भी पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्चाधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु इस

कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

26 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.71 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹2,71,011 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र0	दिनांक	रो. ब. पृष्ठ	विवरण	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता 'ख':–			
1	1.3.17	51	रेत, बजरी व पत्थर	27990
2	1.3.17	51	शटरिंग	4060
3	16.3.17	53	रेत, बजरी व पत्थर	32150
4	16.3.17	53	ट्रैक्टर से निर्माण सामग्री की ढुलाई	7200
5	16.3.17	53	रेत, बजरी व पत्थर	15040
6	16.3.17	53	बजरी	3800
7	16.3.17	53	स्ट्रक्चरल स्टील	10367
8	23.3.17	56	सरिया	3453
9	23.3.17	56	ईंटें	14480
10	23.3.17	56	सरिया	8044
11	23.3.17	56	सरिया	8147
12	23.3.17	56	सरिया	7982
13	23.3.17	56	ईंटें	28980
14	23.3.17	56	सरिया	7948
15	23.3.17	57	रेत व बजरी	22230
	विधायक क्षेत्र विकास निधि			
16	9.12.15	7	पत्थर, रेत व बजरी	18240

	13वां वित्तायोग			
17	14.12.15	24	लोहे की ग्रिल	17000
	सांसद क्षेत्र विकास निधि			
18	23.2.16	13	पत्थर, रेत व बजरी	15120
19	23.2.16	13	पत्थर, रेत व बजरी	18780
			कुल योगः	**271011**

उपरोक्त के अतिरिक्त भी भण्डार के लिए की गई अन्य खरीद के अधिकतर मामलों में जिनका मूल्य ₹3000 से अधिक है को निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं के बिना ही किया गया है। अतः स्टाक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम उच्चाधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

27 भुगतान आदेश पारित किए बिना बिलों का भुगतान करनाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो। परन्तु पंचायत के लेखाओं की चयनित माह हेतु नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा अधिकतर बिलों का भुगतान बिना भुगतान आदेश पारित किए ही किया जा रहा है। अतः इस नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

28 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः—

वाउचर फाइलों की जांच में पाया गया कि व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए हैं। यह हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस लापरवाही तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

29 मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव न किया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत की वर्ष के

दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव करना होगा। परन्तु ग्राम पंचायत कोट में इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है अथवा अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

30 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गए प्रारूप–3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखओं की नमूना जांच में पाया गया कि अंकेक्षणावधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों में से अधिकतर विशेषतः आर0टी0जी0एस0 बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

31 मनरेगा अभिलेख में पाई गई त्रुटियांः–

31.1 मनरेगा अभिलेख का अपूर्ण पाया जानाः–

ग्राम रोजगार सहायक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख की नमूना जांच में पाया गया कि मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख का दैनिक आधार पर अद्यतन (Update) नहीं किया जा रहा है। मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैंः–

1. **अधूरा मस्ट्रौल रजिस्टरः–** पंचायत द्वारा मस्ट्रौल रजिस्टर का अनुरक्षण ही नहीं किया गया है। यह एक अति गम्भीर चूक है क्योंकि इस अभिलेख के अभाव में जारी मस्ट्रौलों का कोई संकलित विवरण उपलब्ध नहीं है जिस कारण इनसे सम्बन्धित समस्त प्रक्रिया संशयपूर्ण हो जाती है।
2. **अधूरे रोजगार कार्डः–** रोजगार कार्ड भी अधूरे पाए गए हैं जिनमें कार्डधारक को उपलब्ध करवाए गए रोजगार के सन्दर्भ में नियमानुसार निर्धारित कॉलम में प्रविष्टियां नहीं की गई हैं।
3. संलग्न **परिशिष्ट '2'** पर दर्ज टिप्पणी देकर पंचायत रोजगार सहायक द्वारा उपलब्ध करवाई जानकारी के अनुसार अंकेक्षणावधि के तीन वर्षों के दौरान 435 रोजगार आवेदनों के विरूद्ध कार्डधारकों को 12354 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। मनरेगा नियमों के अनुसार प्रत्येक आवेदन पर 14 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है जिसके आधार पर परिशिष्ट में दी गई जानकारी अनुसार 435 आवेदनों के विरूद्ध 6090 दिनों का अधिकतम रोजगार दिया जा सकता था परन्तु वास्तव में 12354 दिनों का रोजगार दिया

गया है। 6264 दिनों के अधिक दिए गए रोजगार से सम्बन्धित आवेदन पत्रों के अभिलेख का उपलब्ध न होना इसे संशयपूर्ण बनाता है जबकि यह अभिलेख मनरेगा अधिनियम के अधीन तथा योजना के अन्तर्गत किए जा रहे व्यय में पारदर्शिता हेतु रखा जाना अति आवश्यक है। इस मूल अभिलेख के अभाव में अंकेक्षणावधि के तीन वर्षों के दौरान किया गया समस्त व्यय तथा इसी परिशिष्ट अनुसार 12354 दिनों के लिए दिए गए रोजगार की सारी प्रक्रिया संशयपूर्ण हो जाती है।

4. **सम्पत्ति रजिस्टर का न रखा जानाः–** हिमाचल प्रदेश सरकार, ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक एस एम एस –1/2016–16–आर डी (पी आर सी) दिनांक 13–05–2016 तथा इससे पूर्व में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत मनरेगा के अन्तर्गत करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों का विवरण पंचायत के सम्पत्ति रजिस्टर में रखा जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत कोट द्वारा इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए सम्पत्ति रजिस्टर का अभिलेखन नहीं किया जा रहा है।

मनरेगा अभिलेख में उपरोक्त त्रुटियों का पाया जाना एक अति गम्भीर अनियमितता है तथा यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं दिशानिर्देशों हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख का पूर्ण अद्यतन (Updation) करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

31.2 मनरेगा के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की वाउचर फाइलों का अनुचित तरीके से रखरखावः–

मनरेगा अभिलेख की जांच में पाया गया कि निधि से सम्बन्धित व्यय हेतु वाउचर फाइलें सामान्य तरीके से क्रमवार/दिनांकवार/माहवार/वर्षवार लगाने के स्थान पर किए गए प्रत्येक निर्माण कार्य के आधार पर कार्यविशेष के लिए अलग–अलग लगाई गई हैं। वाउचर फाइलों का इस प्रकार से रखा जाना न केवल प्रतिपादित नियमों के विरूद्ध है वरन् अंकेक्षण के दौरान भी बहुत समस्याएं आईं तथा अत्याधिक समय की बर्बादी हुई। अतः इस बारे भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए, जैसे कि पंचायत में अन्य निधियों की वाउचर फाइलें रखी गई हैं वही प्रक्रिया मनरेगा के सन्दर्भ में भी अपनाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

32 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

ग्राम पंचायत कोट में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जांच में इन कार्यों के निष्पादन में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

32.1 इन बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेदार पंचायत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है। जिस कारण किए गए भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

32.2 हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **103(4)** की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस कारण पंचायत द्वारा किए अथवा करवाए गए निर्माण कार्यों की नमूना अंकेक्षण जांच में बहुत मुश्किल आई है। इस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

32.3 निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किए जाने हेतु खरीदी गई सामग्री का स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अब हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **103(4)** की अनुपालना में मैटीरियल ऐट साईट/स्टॉक रजिस्टर को हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस त्रुटि के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

32.4 हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) तथा 105 में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किए गए कार्यों की नमूना जांच सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख में ऐसी किसी भी नमूना जांच के प्रमाण अथवा प्रमाणपत्र नहीं पाए गए हैं। यह स्पष्टतयः सिद्ध करता है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्यप्रणाली में संदिग्धता दिखाई देती है। इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियमविरूद्ध किए गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।

33 क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का अधूरा रख रखावः–

सरकार द्वारा सरकारी धन से खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग–अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत कोट द्वारा स्टॉक रजिस्टरों का रखरखाव तो किया जा रहा है परन्तु उसमें सम्पूर्ण विवरण जैसे सामग्री का मूल्य, आपूर्तीकर्ता का नाम व पता, वस्तु की मात्रा तथा उससे सम्बन्धित गारन्टी इत्यादि को दर्ज नहीं किया जाता है। सामग्री की शेष मात्रा का प्रगतिशील योग भी नहीं किया गया है।

इसी प्रकार विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु खरीदी गई सामग्री में से मात्र सीमेन्ट को ही स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया गया है तथा अन्य सामग्री जैसे सरिया, ईंट, रेत, बजरी इत्यादि को किसी भी स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है।

अतः भविष्य हेतु तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग–अलग स्थाई व अस्थाई स्टॉक रजिस्टर लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग–अलग पृष्ठ आबंटित करके अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किए गए समस्त सामान की प्रविष्टियाँ नियमानुसार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेश सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

34 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

35 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	––	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)

5	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर नियमानुसार उचित तरीके से सन्धारित नहीं हैं।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
10	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

36 विविध अनियमितताएः—

36.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है।

36.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्री कर, लेबर सैस तथा रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

36.3: पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को भुगतान प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस मिलती है। ग्राम पंचायत के इस फीस के भुगतान के बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी विवरण के बिना ही कर दिया गया है। इसके लिए समस्त अभिलेख मात्र मानदेय रजिस्टर में ही रखा जा रहा है। अतः इस अधूरे अभिलेख के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

37 **लघु आपति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

38 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/–

(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(xii)17/2017–खण्ड–1–4696–4699
दिनाँक–27–07–17 शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत कोट, विकास खण्ड घुमारवीं, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासरपुर, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड घुमारवीं, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर हि0प्र0

हस्ता/–

(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620046